(b) if so, the steps taken to identify and ban the sale of those sub-standard drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) No such report has been received by the Government.

(b) Whenever incidents of sub-standard drugs come to notice, immediate steps are taken by the State Licensing Authorities to withdraw the batch from the market and to suspend or cancel the licence. A statutory provision relating to observance of Good Manufacturing Practice (GMPs) has been introduced under the Drug and Cosmetics Act and Rules thereunder to see that the drugs are manufactured with proper quality control.

भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानदंड

1787. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर, इन्दौर, भोपाल मेडिकल कालेजों द्वारा एम०एस०आई० के मानदंडों का पालन न करने के कारण उनकी मान्यता समाप्त करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वे मानदंड क्या हैं जिनका उक्त कालेजों में पालन नहीं किया जा रहा है और उनका पालन करने का उत्तरदातित्व किस पर है;

(ग) क्या इन मानदंडों का पालन न कर पाने का दण्ड राज्य सरकार को न देकर वहां शिक्षारत छात्रों को देना न्यायसंगत है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानदंडों का पालन कराने में सहायता करेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक मेडिकल कालेज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियम के अधीन निर्धारित आवास स्टाफ, उपकरण आदि की न्यूनतम मानक अपेक्षाओं कि "वर्ष में 100 दाखिलों वाले एक मेडिकल कालेज के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षा", को पूरा करता है, मेडिकल कालेजों का समय-समय पर निरीक्षण करती है। परिषद् ने सितम्बर, 1992 और जुलाई, 1993 में क्रमशः एम०जी०एम० मेडिकल कालेज, इंदौर और एस०एल० मेडिकल कालेज, रीवा का निरीक्षण किया। राजकीय मेडिकल कालेज, जबलपुर का निरीक्षण मार्च, 1993 में किया गया। परिषद् के निरीक्षकों द्वारा स्टाफ और वार्षिक दाखिलों के संबंध में कमियां बताई गई। ये कमियां कालेज/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के ध्यान में लाई गई और परिषद् द्वारा उनके जवाब मांगे गए। चूंकि बार-बार अनुस्मारक भेजने पर भी कालेज प्राधिकारियों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए, इसलिए परिषद् की कार्यकारी समिति ने उपर्युक्त तीनों कालेजों को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी किए कि मेडिकल डिग्रियों की मान्यता समाप्त करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अधीन कदम क्यों नहीं उठाए जाने चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अधीन किसी मेडिकल कालेज के छात्रों को प्रदत्त मेडिकल डिग्रियों की मान्यता समाप्त करने की शक्ति केन्द्र-सरकार को प्राप्त है। इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Amendment in the Prevention of Food Adulteration Rules, 1994

1788. SHRI T.A. MOHAMMED SAQHY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be plesed to state:

(a) whether representations have been received on amendment to the prevention and Food Adulteration Rules from various Indian Associations viz. ASSOCHAM, CII, FICCI and Shree Bombay Mishtann Vyavasai Sahkari Mandal Limited;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any technical expert bodies were asked to carry out toxicology studies on the products covered by the Notification and if so, the details thereof; and